(125)

रजिस्ट्री सं डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 1986/पौष 9, 1908
No. 632] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 1986/PAUSA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 1339(अ) :—केन्द्रीय सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम सं. 27) का निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपान्तरण

1. धारा 1 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा"

2. धारा 2 में, "(इसमें इसके पश्चात् प्रधान अधिनियम के रूप में उल्लिखित)" कोष्ठकों तथा शब्दों का लोप किया जाएगा और "पंजाब राज्य" शब्दों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य" शब्द रखे जाएंगे ।

3. धारा 3 का लोप किया जाएगा ।

उपाबंध

चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम सं. 27)

पंजाब राज्य पर लागू करने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1981 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

1899 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की अनुसूची 1-क का संशोधन :

2. चण्डीगढ़ संघ राज्य पर लागू करने के लिए, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में, अनुसूची 1-क में,—

1. प्रविष्टि 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

दस्तावेज का वर्णन	उचित स्टाम्प मूल्य	
	(क)	(ख)
1	2	3
"23 धारा 2(10) द्वारा यथा परिभाषित, जो ऐसे अन्तरण के लिए नहीं है जिसके लेखे संख्या 62 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है	जहां हस्तांतरण जंगम संपत्ति के विक्रय के रूप में हो	पत्र अन्य हस्तांतरण-पत्र
जहां कि ऐसे हस्तांतरण के लिए प्रतिफल की रकम या मूल्य, जैसा हस्तांतरण पत्र में उपवर्णित है, 50 रुपए से अधिक नहीं है;	छः रुपए पच्चीस पैसे	एक रुपया पचास पैसे
जहां कि वह 50 रु. से अधिक है, किन्तु 100 रुपए से अधिक नहीं है;	बारह रुपए पचास पैसे	तीन रुपए
जहां कि वह 100 रुपए से अधिक है, किन्तु 200 रु. से अधिक नहीं है;	पच्चीस रुपए	छः रुपए
जहां वह 200 रु. से अधिक है, किन्तु 300 रु. से अधिक नहीं है;	सैंतीस रुपए पचास पैसे	नौ रुपए
जहां वह 300 रु. से अधिक है, किन्तु 400 रु. से अधिक नहीं है;	पचास रुपए	बारह रुपए
जहां वह 400 रु. से अधिक है, किन्तु 500 रु. से अधिक नहीं है;	बासठ रुपए पचास पैसे	पन्द्रह रुपए
जहां वह 500 रु. से अधिक है, किन्तु 600 रु. से अधिक नहीं है;	पचहत्तर रुपए	अठारह रुपए
जहां वह 600 रु. से अधिक है, किन्तु 700 रु. से अधिक नहीं है;	सतासी रुपए पचास पैसे	इक्कीस रुपए
जहां वह 700 रु. से अधिक है, किन्तु 800 रु. से अधिक नहीं है;	एक सौ रुपए	चौबीस रुपए
जहां वह 800 रु. से अधिक है, किन्तु 900 रु. से अधिक नहीं है;	एक सौ बारह रुपए पचास पैसे	सत्ताइस रुपए
जहां वह 900 रु. से अधिक है, किन्तु 1000 रु. से अधिक नहीं है;	एक सौ पच्चीस रुपए	तीस रुपए
और 1000 रु. से अधिक प्रत्येक 500 रु. या उसके भाग के लिए	बासठ रुपए पचास पैसे	पन्द्रह रुपए

छूट—

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 18 के अधीन प्रतिलिप्याधिकार का समनुदेशन, सह-भागीदारी-विलेख, देखिए—भागीदारी (सं. 46)" और

(2) प्रविष्टि 18, 31, 35, 48, 54 और 63 के सामने "हस्तांतरण-पत्र के रूप में" शब्दों की जहां भी आवृत्ति होनी है उनके स्थान पर "अन्य हस्तांतरण पत्रों के रूप में" शब्द रखे जाएंगे ।

3. लोप कर दिया गया ।

[यू. 11015/8/83-यू. टी. एल(170)]

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th Dec., 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1339(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1981 (Punjab Act No. 27 of 1981) as in force in the State of Punjab at the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In section 1, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) it shall come into force at once"

2. In section 2, the brackets and words "(hereinafter referred to as the principal Act)" shall be omitted and for the words "State of Punjab", the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

3. Section 3 shall be omitted.

IndiaCode

ANNEXURE

The Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1981 (Punjab Act No. 27 of 1981) As Extended to the Union Territory of Chandigarh.

An Act to amend the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Punjab.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Thirty-second Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement :

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1981.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Schedule I-A of Central Act 2 of 1899 :

2. In the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the Union territory of Chandigarh, in Schedule I-A,—

(1) for entry 23, the following entry shall be substituted, namely :—

Description of Instrument	Proper Stamp Duty	
"23. Conveyance as defined by section 2(10) not being a Transfer charged or exempted under No. 62	Where conveyance amounts to sale of immovable propety	Other conveyances
	(a)	(b)
1	2	3
Where the value or amount of the consideration for such conveyance as set forth therein does not exceed Rs. 50;	Six rupees and twenty-five paise.	One rupee and fifty paise.
Where it exceeds Rs. 50, but does not exceed Rs. 100;	Twelve rupees and fifty paise	Three rupees
Where it exceeds Rs. 100, but does not exceed Rs. 200;	Twenty-five rupees	Six rupees
Where it exceeds Rs. 200, but does not exceed Rs. 300;	Thirty-seven rupees and fifty paise	Nine ruppees
Where it exceeds Rs. 300, but does not exceed Rs. 400;	Fifty rupees	Twelve rupees
Where it exceeds Rs. 400, but does not exceed Rs. 500;	Sixty-two rupees and fifty paise	Fifteen rupees
Where it exceeds Rs. 500, but does not exceed Rs. 600;	Seventy-five rupees	Eighteen rupee
Where it exceeds Rs. 600, but does not exceed Rs. 700;	Eighty seven rupees and fifty paise	Twenty-one rupees
Where it exceeds Rs. 700, but does not exceed Rs. 800;	One hundred rupees	Twenty-four rupees
Where it exceeds Rs. 800, but does not exceed Rs. 900;	One hundred and twelve rupees and fifty paise	Twenty-seven rupees
Where it exceeds Rs. 900, but does not exceed Rs. 1,000;	One hundred and twenty five rupees	Thirty rupees
and for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1000;	Sixty two rupees and fifty paise	Fifteen rupees

Exemption—

Assignment of copyright under the Copyright Act, 1957 Section 18, Co-partnership Deed, see Partnership (No. 46)" and

(2) against entries 18, 31, 35, 48, 54 and 61, for the words "as a Conveyance" wherever occuring, the words "as other conveyances" shall be substituted.

3. Omitted.

[U-11015/8/83-UTL(170)]
ASHOK NATH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987